राजस्थान सरकार

न्यायालय भू.अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला – भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) ग्राम कासोरिया

– आदेश :–

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कासोरिया व भू.अ.नि. [illegible] की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कासोरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा [illegible] सम्वत 2070-73 में खाता संख्या 194 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को [illegible] शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :–

क्र. स	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि [illegible] रिकार्ड में दर्ज की [illegible]
1	कासोरिया	194	तुलसी बेवा	तुलसी धर्मपत्नी

(रतनलाल रैगर)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
भू.अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
बनेडा जिला – भीलवाडा

क्रमांक :– 453/18 दिनांक :– 18/5/18

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये ।
2. प्रार्थी श्री मति तुलसी धर्मपत्नी मा.धु. को सूचनार्थ । ब्राह्मण
3. रक्षित पत्रावली

(रतनलाल रैगर)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
भू.अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
बनेडा जिला – भीलवाडा

Scanned by CamScanner